संoसंo–5 बजट (1) 26/2024 08570 वि०।

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(मत्स्य प्रभाग)

प्रेषक,

अबुबक्कर सिद्दीख पी0, भा0प्र0से0
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार
झारखण्ड, राँची।

द्वारा:– **आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।**

राँची/दिनांक 24.06.25

विषय– **वित्तीय वर्ष 2025–26 में मॉग संख्या–53–कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) में मुख्य शीर्ष–4405–मछली पालन पर पूँजीगत् परिव्यय के तहत् राज्य योजना वेद व्यास आवास योजना अंतर्गत मो0 497.12 लाख (चार करोड़ सन्तानवे लाख बारह हजार) रुपये मात्र की अनुमानित लागत पर व्यय एवं योजना कियान्वयन की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक राज्य योजनान्तर्गत "वेद व्यास आवास योजना" के तहत् वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल स्वीकृत बजट उपबंध मो0 500.00 लाख रु0 के तहत् मो0 497.12 लाख (चार करोड़ सन्तानवे लाख बारह हजार) रुपये मात्र के व्यय पर योजना के कार्यान्वयन की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. यह एक चालू योजना है, जिसके अंतर्गत मछुआरों के लिए कुल 260 पक्का आवास का निर्माण कराया जाएगा।

3. योजनान्तर्गत बजट उपबंध मो0 500.00 लाख रु0 मात्र के अधीन स्वीकृत राशि मो0 497.12 लाख (चार करोड़ सन्तानवे लाख बारह हजार) रुपये मात्र की निकासी निम्नांकित बजट शीर्ष से की जाएगी :–

(राशि लाख रू0 में)

क	मुख्य शीर्ष–4405–मछली पालन पर पूँजीगत् परिव्यय	बजट उपबंध	स्वीकृत राशि	अवशेष राशि
1	लघु शीर्ष–101–अन्तर्देशीय मछली पालन–69–वेद व्यास आवास योजना–विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–45–निर्माण कार्य **53S44050010169010545**	261.00	260.032	0.968
2	लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–69–वेद व्यास आवास योजना–विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–45–निर्माण कार्य **53S44050078969010545**	78.00	76.48	1.52
3	लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–69–वेद व्यास आवास योजना–विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–45–निर्माण कार्य **53S44050079669010545**	161.00	160.608	0.392
	कुल	**500.00**	**497.120**	**2.880**

(कुल मो0 चार करोड़ सन्तानवे लाख बारह हजार रुपये मात्र)

4. योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, निदेशक मत्स्य, झारखंड राँची/जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राँची, गुमला, लोहरदगा, प0 सिंहभूम, दुमका, साहेबगंज, देवघर, धनबाद, गिरिडीह, पलामू, गढ़वा तथा गोड्डा एवं जिला मत्स्य पदाधिकारी, सिमडेगा, कोडरमा तथा पाकुड़ होंगे, जो कंडिका–11 में दर्शाये गये भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य विवरणी के अनुरुप राशि की निकासी दिये गये आवंटन के अंतर्गत संबंधित कोषागार से करेंगे।

5. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक मत्स्य एवं सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग होंगे।

6. योजना के कार्यान्वयन में आवास का निर्माण कलस्टर में किया जाना है, अतः यथासंभव पूर्व में सृजित क्लस्टर के छूटे हुए लाभुकों को इस योजना से आच्छादित किया जाएगा।

7. लाभुकों का चयन संबंधित जिले के उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा क्लस्टर में किया जाएगा। चयन समिति में संबंधित जिले के माननीय विधायक अथवा उनके प्रतिनिधि भी सदस्य होंगे।

8. इस योजना में लाभुक चयन निम्न प्रकार से किया जाना है:

कृषि प्रभाग द्वारा अधिष्ठापित सिंगल विन्डो के माध्यम से प्राप्त आवेदनों अथवा आवश्यकता अनुसार समाचार पत्रों में विज्ञापन के उपरान्त प्राप्त आवेदनों में से लाभुकों का चयन किया जायेगा।

i. सक्रिय अथवा परम्परागत मत्स्य पालक/मछुआ जो मत्स्य उत्पादन/मत्स्य बीज उत्पादन/प्राकृतिक जल संसाधनों में मछली पकड़ने/मत्स्य बिक्री में सक्रिय हों।

ii. प्राथमिकता गरीबी रेखा से नीचे कच्चे मिट्टी से बने अथवा फूस के मकान में रहने वाले मछुआ/मत्स्य पालक को दी जायेगी।

iii. आवास निर्माण हेतु जमीन उपलब्ध रहने तथा कच्चा घर वाले मछुआरों को भी कंडिका (i) एवं (ii) के अतिरिक्त लाभान्वित किया जा सकता है। एक परिवार में एक आवास देय है। आवश्यकतानुसार पति–पत्नी के संयुक्त नाम से स्वीकृति दी जायेगी।

iv. प्रक्रियानुसार आवेदक दिव्यांगों हेतु स्वीकृत राशि का न्यूनतम 3 प्रतिशत तथा महिलाओं के लिए न्यूनतम 10 प्रतिशत राशि का प्रावधान जिलावार किया जायेगा।

v. ऐसे लाभुकों को दोबारा लाभ नहीं दिया जायेगा, जो पूर्व संचालित विभागीय मछुआ आवास योजना अथवा इन्दिरा आवास या समतुल्य केन्द्र/राज्य सरकार की आवास योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। जिला मत्स्य पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी स्थिति में एक लाभुक के लिये योजना का दोहरीकरण नहीं हो। लाभुकों की अर्हता की जॉच स्वयं संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/जिला मत्स्य पदाधिकारी निर्धारित मापदण्ड पर करेंगे।

9. इस योजना के तहत् चयनित लाभुकों के आवासों का Geo Tagging कराना सुनिश्चित किया जाए।

10. (क) प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के मानक प्राक्कलन के आधार पर आवास निर्माण का कार्य लाभुकों के द्वारा स्वयं कराया जाएगा। लाभुक आवश्यकता अनुसार छत ढलवां अथवा समतल रख सकते हैं। आवास निर्माण हेतु अधिकतम प्रति लाभुक मो0 1,91,200/–रु0 की आर्थिक सहायता होगी जो नये अनुसूची दर पर है। इसपर कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल सं0–02, राँची द्वारा दिनांक 26.10.2023 को तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई है। पक्का आवासों का निर्माण मछुआरों की निजी जमीन पर कराया जाएगा। इसके लिए एकाउन्ट स्थानान्तरण (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से लाभुक मछुआरों के बैंक खाते में राशि उपलब्ध करायी जाएगी।

(ख) सक्षम प्राधिकार से चयनित लाभुकों के लिए बैंक से राशि की निकासी हेतु जिला मत्स्य कार्यालय द्वारा विमुक्ति का आदेश निम्न रुप से कार्य की प्रगति के अनुसार किया जायगा :

(i) प्लिंथ स्तर (20%) (ii) छत स्तर (15%)

(iii) छत ढलाई/निर्माण (40%) (iv) फिनिशिंग हेतु राशि दी जायेगी (25%)

11. जिलावार, शीर्षवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निम्न प्रकार है–

वित्तीय वर्ष 2025–26 में मुख्य शीर्ष–4405–मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय–उप शीर्ष–69–वेद व्यास आवास योजना अंतर्गत लघु शीर्ष एवं जिलावार भौतिक (संख्या में) एवं वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 में)

क0	जिला का नाम	लघु शीर्ष–101–अन्तर्देशीय मछली पालन–विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–45–निर्माण कार्य		लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–45–निर्माण कार्य		लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–45–निर्माण कार्य		कुल भौतिक लक्ष्य	कुल वित्तीय लक्ष्य
		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	राँची	0	0.000	9	17.208	29	55.448	38	72.656
2	गुमला	0	0.000	2	3.824	10	19.120	12	22.944
3	सिमडेगा	0	0.000	5	9.560	5	9.560	10	19.120
4	लोहरदगा	0	0.000	2	3.824	5	9.560	7	13.384
5	प0 सिंहभूम	0	0.000	0	0.000	5	9.560	5	9.560
6	दुमका	0	0.000	4	7.648	10	19.120	14	26.768
7	पाकुड़	0	0.000	2	3.824	10	19.120	12	22.944
8	साहेबगंज	0	0.000	2	3.824	10	19.120	12	22.944
9	कोडरमा	20	38.240	3	5.736	0	0.000	23	43.976
10	देवघर	26	49.712	2	3.824	0	0.000	28	53.536
11	धनबाद	15	28.680	2	3.824	0	0.000	17	32.504
12	गिरिडीह	15	28.680	2	3.824	0	0.000	17	32.504
13	पलामू	20	38.240	3	5.736	0	0.000	23	43.976
14	गढ़वा	20	38.240	2	3.824	0	0.000	22	42.064
15	गोड्डा	20	38.240	0	0.000	0	0.000	20	38.240
योग :		**136**	**260.032**	**40**	**76.480**	**84**	**160.608**	**260**	**497.120**

12. योजना स्थल का चयन, योजना की Feasibility एवं सफलता का दायित्व संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी का होगा।

13. लाभुकों के चयन के पूर्व संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/जिला मत्स्य पदाधिकारी एवं संबंधित क्षेत्र प्रभारी मत्स्य प्रसार पदाधिकारी/मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक स्थल की जॉच तथा लाभुकों के आवेदन में वर्णित तथ्यों की छानबीन कर संतुष्ट हो लेंगे। लाभुक की सूची/उसके फोटोग्राफ/स्थायी पता/खाता–खेसरा जिस पर आवास निर्माण हो रहा है उसका ब्यौरा पंजी में संधारित करेंगे। Ground reality से मेल नहीं पाने पर जिला मत्स्य

पदाधिकारी दोषी होंगे। जिला मत्स्य पदाधिकारी पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से सम्पर्क कर स्वच्छता हेतु शौचालय निर्माण का प्रयास करेंगे।

लाभान्वितों के संबंध में प्रत्येक जिला मत्स्य कार्यालय में फोल्डर संधारित कर रखे जायेंगे, जिनमें उन्हें उपलब्ध कराई गई सुविधा से उनकी दशा में आये सुधार का वर्णन रहेगा। योजना के लाभुक का नाम, ब्यौरा, पूर्व, वर्तमान आवास का फोटो, अभिलेख अपने कार्यालय में संधारित करेंगे तथा जिला Website पर भी डालेंगे।

14. वित्तीय वर्ष 2024–25 में इस योजना अंतर्गत स्वीकृत बजट उपबंध मो0 500.00 लाख रू0 मात्र में से मो0 497.12 लाख रू0 मात्र का व्यय प्रतिवेदित है।

15. स्वीकृत राशि का व्यय प्राप्त आवंटन, वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश पत्रांक 2561 दिनांक 17–04–98 तथा वित्तीय नियमावली व कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।

16. उक्त स्वीकृत्यादेश मंत्रिमंडल, सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड के प्रसंगाधीन अधिसूचना ज्ञापांक सी0एस02/आर0–01/2005–301 दिनांक 11.03.2015 तथा सी0एस0–01/आर0–04/ 2001/1269 दिनांक 21 सितम्बर, 2023 के द्वारा विभाग को प्रदत्त वित्तीय शक्ति के अधीन है।

17. राशि का व्यय स्वीकृत बजट उपबंध के अंतर्गत हो।

18. योजना स्वीकृति के प्रस्ताव पर मा० विभागीय मंत्री का निम्नांकित निदेशों के साथ अनुमोदन प्राप्त है :–

(i) योजना क्रियान्वयन के क्रम में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में विषयगत योजना का दोहरीकरण न हो।

(ii) योजना क्रियान्वयन के संबंध में वित्त विभाग/विधि विभाग/कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के विभागीय शर्त्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(iii) नियमानुसार आवश्यक उपयोगिता प्रमाण पत्र/व्यय प्रतिवेदन की प्राप्ति एवं अन्य सभी आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण कर ली जायेगी।

19. स्वीकृत्यादेश प्रारुप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा की सहमति निम्नांकित शर्त के साथ प्राप्त है :–

"स्वीकृत्यादेश प्रारुप में अंकित सभी शर्त्तों एवं वित्त विभाग झारखण्ड द्वारा समय–समय पर निर्गत सभी वित्तीय अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

20. स्वीकृत्यादेश निर्गत होने के पश्चात् विभागीय वेबसाईट www.jharkhandfisheries.org पर देखा जा सकता है।

विश्वासभाजन

(अबुबक्कर सिद्दीक, पी0)
सरकार के सचिव

ज्ञापांकः— 5 बजट (1) 26 / 2024 08 रा० वि०/ रॉची, दिनांकः— 24.06.25

प्रतिलिपि : सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांकः— 5 बजट (1) 26 / 2024 08 रा० वि०/ रॉची, दिनांकः— 24.06.25

प्रतिलिपि : जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी, (सभी)/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, झारखण्ड/मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची/उप मत्स्य निदेशक, (सभी)/संयुक्त मत्स्य निदेशक/निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी से अनुरोध है कि संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत स्वीकृत होने वाले आवास निर्माण योजनाओं के साथ इस योजना का दोहरीकरण न हो इसके लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

सरकार के सचिव

ज्ञापांकः— 5 बजट (1) 26 / 2024 08 रा० वि०/ रॉची, दिनांकः— 24.06.25

प्रतिलिपि :योजना–सह–विकास विभाग, झारखण्ड, रॉची/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी उप विकास आयुक्त/सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, रॉची के प्रधान आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त, झारखण्ड, रॉची के सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव